समक्ष राकेश कुमार जैन, न्यायमूर्ति

संजय-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी संख्या ***1980*** का ***2018*** अगस्त ***08,2018*** भारत का संविधान, ***1950***-अनुच्छेद ***226*** और ***227***-हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई अधिनियम, ***1988***-धारा ***3,4,5***-ए, ***8*** और ***9***-भारतीय दंड संहिता, ***1860***-धारा ***186,153,307,34,302*** और ***120***-बी-शस्त्र अधिनियम, ***1959***-धारा ***25***-जेल अधीक्षकों को पैरोल, फर्लो के लिए आवेदन दर्ज करने का निर्देश-यदि पंजीकृत नहीं है-सदस्य सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए- जिला न्यायाधीश मासिक दौरे पर निगरानी करेंगे, जब आवेदन पंजीकृत होगा-जेल अधीक्षक ***5*** दिनों में जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे-जिला मजिस्ट्रेट ***21*** दिनों में प्रक्रिया पूरी करेंगे-***10*** दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के लिए संभागीय आयुक्त को भेजेंगे।

यह निर्देश जारी किया जाता है कि जब भी किसी कैदी द्वारा धारा 3,4 के तहत पैरोल या फर्लो की मांग के लिए आवेदन दायर किया जाता है या यदि वह अधिनियम की धारा 5-ए के तहत एक कट्टर कैदी है, तो अधीक्षक जेल तुरंत उसका आवेदन दर्ज करेगा और यदि किसी भी कारण से अधीक्षक जेल द्वारा आवेदन नहीं लिया जाता है, तो मामला सदस्य सचिव कानूनी सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जा सकता है जो आवेदन का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और जिला और सत्र न्यायाधीश, जेल की अपनी मासिक यात्रा पर इसकी निगरानी करेगा। जैसे ही आवेदन दायर किया जाता है, अधीक्षक जेल को जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट देकर 5 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट को आगे निर्देश दिया जाता है कि जब वह पैरोल या फर्लो के लिए अधीक्षक जेल की रिपोर्ट प्राप्त करेगा, तो वह 21 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ मामले को संभागीय आयुक्त को भेजेगा, जिन्हें आगे 10 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 19)

याचिकाकर्ता की ओर से विशाल नेहरा, अधिवक्ता।

बलदेव राज महाजन, ए जी, हरियाणा सौरभ मोहंता, डी ए जी, हरियाणा के साथ।

राकेश कुमार जैन, न्यायमूर्ति,

(1) याचिकाकर्ता आजीवन कारावास का दोषी है और वर्तमान में जिला जेल, सोनीपत में बंद है। उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/120-बी/34 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 428 के तहत दोषी ठहराया गया था [संक्षेप में 'आईपीसी' और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, सोनीपत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा उनके आदेश दिनांक 31.03.2015 के तहत आजीवन कारावास के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उनकी आपराधिक अपील संख्या सीआरए-डी-210-डीबी-2017 को स्वीकार कर लिया गया है और जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी गई है। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने सजा काटते समय जेल में अच्छा आचरण बनाए रखा है और किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है, उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है और वह पहला अपराधी है। यह भी माना जाता है कि उसने चार साल की सजा के बाद अपने आवासीय घर के निर्माण के कारण छह सप्ताह के लिए पैरोल के लिए आवेदन किया है। वह गाँव या

समाज में किसी की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और ग्राम पंचायत ने उसे पैरोल पर रिहा करने के लिए उसके मामले का समर्थन किया है। इस संबंध में उन्होंने ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दाखिल किया है। यह भी कहा गया है कि उसने प्रतिवादी नंबर 3 अधीक्षक जेल, सोनीपत को दिनांक 10.07.2017 को एक आवेदन दिया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और अब 8-9 महीने पहले उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उसके आवासीय घर की मरम्मत की आवश्यकता है और कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे उसकी वृद्ध माँ द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन कथनों के साथ, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1) (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में उसे छह सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

(2) प्रत्यर्थियों ने अपना उत्तर अधीक्षक जिला कारागार, सोनीपत के शपथपत्र के माध्यम से दाखिल किया है जिसमें यह अभिप्रेरित किया गया है कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा पुलिस स्टेशन तोशाम, जिला भिवानी में धारा 302/449/216/120-बी/34 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी संख्या 159 दिनांक 24.08.2001 के तहत दर्ज एक अन्य मामले में 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दिनांक 26.11.2011 को प्राथमिकी संख्या 428 के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जिला जेल, भिवानी से 29.05.2007 से तीन सप्ताह के फर्लो पर रिहा किया गया था और उसे 20.06.2007 को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने निर्दिष्ट तिथि पर आत्मसमर्पण नहीं किया था और उसे स्थानीय पुलिस द्वारा 14.11.2007 को जिला जेल रोहतक में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 8/9 के तहत प्राथमिकी संख्या 179/2007 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह 20.06.2007 से 13.11.2007 तक 4 महीने और 25 दिनों के लिए पैरोल से भगोड़ा रहा। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को जिला जेल भिवानी से 12.05.2010 को घर की मरम्मत के कारण 4 सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था और उसे 10.06.2010 को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस बार भी उसने निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और स्थानीय पुलिस द्वारा 30.11.2011 को जिला जेल सोनीपत में दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 186/353/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी संख्या 291/10 के तहत सदर बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में एचजीसीपी अधिनियम की धारा 8/9 के तहत मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता 10.06.2010 से 29.11.2011 यानी 1 वर्ष 5 महीने और 20 दिनों तक पैरोल से फरार रहा। यह भी अभिप्रेरित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बहादुरगढ़ की अदालत द्वारा मामले की एफ. आई. आर. संख्या 291/2010 में पैरोल से फरार होने के लिए दोषी ठहराया गया था और दिनांक 27.01.2016 के आदेश के अनुसार, पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 08.04.2015 को एक 'कट्टर' कैदी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे दो अलग-अलग एफआईआर में आजीवन कारावास के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि पुलिस स्टेशन तोशाम, जिला भिवानी में दर्ज एफआईआर संख्या 159 दिनांक 24.08.2001 और पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, सोनीपत में दर्ज एफआईआर संख्या 428 दिनांक 26.11.2011 है। अधिनियम के खंड 2 (एए) (viii) के संबंध में संदर्भ दिया गया है, जैसा कि 2013 में संशोधित किया गया था।

(3) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अदालत में साफ हाथों से नहीं आया है, क्योंकि, आवेदन कथित रूप से जिला जेल अधीक्षक को दायर किया गया है, सोनीपत कथित रूप से एक बलविंदर सिंह संजय के बेटे द्वारा दायर किया गया है, जबकि इस पर रघबीर सिंह के संजय बेटे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 4 में गलत अभिकथन किया है कि वह पहला अपराधी है, हालांकि उसे हत्या के एक अन्य मामले में सजा सुनाई गई है, इसलिए यह याचिका इस आधार पर खारिज की जानी चाहिए।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से अभिलेख का अध्ययन किया है।

(6) याचिकाकर्ता ने एक दोषी होने के नाते अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के प्रावधानों को लागू करके पैरोल पर छह सप्ताह की अवधि के लिए अपनी रिहाई के लिए अनुरोध किया है। धारा 3 (1) (बी) में यह प्रावधान है कि एक दोषी अपनी शादी के लिए या उक्त प्रावधान में उल्लिखित व्यक्तियों की अस्थायी रिहाई की मांग कर सकता है, लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता घर की मरम्मत और कृषि उद्देश्य के लिए पैरोल की मांग कर रहा है।

(7) यह अधिनियम कैदियों के अच्छे आचरण के कारण उनकी अस्थायी रिहाई के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन कुछ शर्तों पर। अधिनियम के नाम से ही पता चलता है कि अस्थायी रिहाई अर्जित करने के लिए, कैदी को जेल में रहने के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखना पड़ता है। यह अधिनियम कैदियों को दो प्रकार की राहत प्रदान करता है। पहला, धारा 3 के संदर्भ में पैरोल के लिए और दूसरा, धारा 4 के संदर्भ में फर्लो के लिए। विधानमंडल ने कट्टर कैदियों के मामलों से निपटने के लिए धारा 2 में "कट्टर कैदियों" की परिभाषा को भी जोड़ा और धारा 5-ए को जोड़ा। इस प्रकार, दो प्रकार के कैदी हैं जो पैरोल या फर्लो का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले, कैदी और दूसरा, कट्टर कैदी। यदि किसी कैदी द्वारा पैरोल के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो यह अधिनियम की धारा 3 के तहत होगा, लेकिन यदि कोई "कट्टर कैदी" आवेदन दायर करेगा तो यह अधिनियम की धारा 5-ए के तहत होगा। दोनों स्थितियों में, आवेदन अधीक्षक जेल में दायर किया जाना है जिसमें कैदी बंद है। हरियाणा अच्छा आचरण (अस्थायी रिहाई नियम, 2007 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 10 (1) (2) के संदर्भ में प्रदान किए गए थे जिसमें अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया पैरोल और फर्लो दोनों के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है।

(8) इस संबंध में, नियमों के नियम 3 का संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

3 (1) अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत अस्थायी रिहाई की मांग करने वाला एक कैदी, जेल अधीक्षक को, जैसा भी मामला हो, फॉर्म ए-1 या फॉर्म ए-2 में आवेदन करेगा। कैदी के परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी ऐसा आवेदन कर सकता है।

(2) जेल अधीक्षक अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जो मामले को अपनी सिफारिशों के साथ महानिदेशक को पैरोल देने या अन्यथा के लिए भेजेगा। रिहा करने वाला प्राधिकारी जेल अधीक्षक को फॉर्म बी में विधिवत हस्ताक्षरित और सीलबंद वारंट जारी कर सकता है जिसमें कैदी की अस्थायी रिहाई का आदेश दिया गया है-i) रिहाई की अवधि; ii) वह स्थान या स्थान जहां कैदी को जाने की अनुमति है; और iii) मुचलके की राशि।

(9) कैदियों द्वारा प्रतिदिन कई मामले दायर किए जा रहे हैं, जो पैरोल या फर्लो पर उनकी रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। नियमों के नियम 3 में यह प्रावधान है कि यदि कोई कैदी पैरोल या फर्लो पर अस्थायी रिहाई चाहता है जो कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत है, तो वह फॉर्म ए-1 या फॉर्म ए-2 में आवेदन करेगा, जैसा भी मामला हो।

(10) अधिनियम की धारा 3 के तहत पैरोल की मांग के लिए आवेदन दायर करने के लिए फॉर्म ए-1 निर्धारित है और अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में फर्लो की मांग के लिए फॉर्म ए-2 निर्धारित है। यदि या तो दोषी स्वयं या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य द्वारा अधीक्षक जेल में आवेदन दायर किया जाता है, तो अधीक्षक जेल को अपनी रिपोर्ट के साथ उक्त आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा, जो पैरोल या फर्लो या अन्यथा देने के

लिए महानिदेशक को अपनी सिफारिशों के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा। महानिदेशक को नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ जेल महानिदेशक है। इसके बाद रिहा करने वाला प्राधिकारी जेल अधीक्षक को कैदी की रिहाई के लिए फॉर्म बी में विधिवत हस्ताक्षरित और सीलबंद वारंट जारी करेगा, जिसमें रिहाई की अवधि, स्थान या स्थान जहां कैदी को जाने की अनुमति है और जमानत की राशि निर्दिष्ट होगी।

(11) कैदियों की सामान्य शिकायत अधीक्षक जेल के खिलाफ है कि या तो वह धारा 3 या धारा 4 के तहत दायर उनके आवेदन प्राप्त नहीं करेगा या यदि आवेदन दायर किया जाता है तो उसे अपनी रिपोर्ट बनाने में लंबा समय लगेगा।

(12) इस मुद्दे को हल करने के लिए, राज्य के वकील ने लंबित पैरोल और फर्लो आवेदनों के निपटान के संबंध में जेल महानिदेशक द्वारा 15.12.2016 को जारी किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा है।

(13) यह प्रावधान किया गया है कि पैरोल/फर्लो पर रिहाई की मांग करने वाले आवेदनों का निम्नलिखित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाएगाः- अधीक्षक जेल-5 दिन।

जिला मजिस्ट्रेट-21 दिन

संभागीय आयुक्त-10 दिन।

(14) इसमें यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन उल्लिखित महानिदेशक कारागार, हरियाणा की पैरोल या फर्लो देने या अस्वीकार करने की शक्तियां अब संभागीय आयुक्त को प्रदान कर दी गई हैं।

(15) जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि वे इस स्थिति में जीवित थे कि जेल में बंद कैदियों को भी उनकी सजा की अवधि के दौरान या तो पैरोल या फर्लो पर अस्थायी रूप से रिहा होने का अधिकार मिला था और इस प्रकार उन्होंने ऐसे कैदियों के भाग्य का निर्णय करने के लिए संबंधित अधिकारी के लिए दिनों की संख्या निर्धारित की है। अधीक्षक जेल एक सिफारिश करने वाला प्राधिकरण नहीं है, बल्कि केवल एक रिपोर्टिंग प्राधिकरण है, इसलिए उसे 5 दिन का समय दिया जाता है जिला मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया यह तय करना है कि अधीक्षक जेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, पैरोल/फर्लो का लाभ दिया जाना है या नहीं, लेकिन वह केवल अपनी सिफारिशें करेगा। इसके बाद डी. जी. पी./संभागीय आयुक्त को पैरोल देने या अस्वीकार करने के उद्देश्य से रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेने के उद्देश्य से 10 दिनों की अवधि दी जाती है।

(16) प्रश्न यह उठता है कि क्या हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित अवधि का पालन उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है?

(17) वास्तव में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आम तौर पर देखा गया है कि उक्त समय अवधि का पालन नहीं किया जा रहा है और यह राज्य के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है कि रजिस्टर में पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन बनाए गए हैं, लेकिन हाथ से दिए गए आवेदन इस तरह से पंजीकृत नहीं हैं।

(18) यह सुझाव दिया जाता है कि रजिस्टर में सभी आवेदनों को पंजीकृत करने के लिए अधीक्षक जेल को एक निर्देश जारी किया जा सकता है जो हाथ या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल यह होगा कि यदि अधीक्षक जेल आवेदन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है तो क्या किया जाना चाहिए? इस संबंध में, यह सुझाव दिया जाता है कि न्यायालय में इस प्रकार के आरोपों से बचने के लिए, जिस कैदी को अधीक्षक जेल के खिलाफ अपना आवेदन प्राप्त नहीं करने की शिकायत है, वह जेल में कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कैदी का उक्त आवेदन अधीक्षक जेल द्वारा विधिवत प्राप्त और संसाधित किया जाए

(19) मैं हरियाणा के विद्वान ए. जी. द्वारा दिए गए इस सुझाव से सहमत हूं और इस प्रकार, इस स्तर पर, निर्देश जारी किया जाता है कि जब भी किसी कैदी द्वारा धारा 3,4 के तहत पैरोल या फर्लो की मांग के लिए आवेदन दायर किया जाता है या यदि वह अधिनियम की धारा 5-ए के तहत एक कट्टर कैदी है, तो अधीक्षक जेल तुरंत अपना आवेदन दर्ज करेगा और यदि अधीक्षक जेल द्वारा किसी भी कारण से आवेदन नहीं लिया जाता है, तो मामला सदस्य सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है, जो आवेदन का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और जिला और सत्र न्यायाधीश, जेल की अपनी मासिक यात्रा पर इसकी निगरानी करेगा। जैसे ही आवेदन दायर किया जाता है, अधीक्षक जेल को जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट देकर 5 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट को आगे निर्देश दिया जाता है कि जब वह पैरोल या फर्लो के लिए अधीक्षक जेल की रिपोर्ट प्राप्त करेगा, तो वह 21 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ मामले को संभागीय आयुक्त को भेजेगा, जिन्हें आगे 10 दिनों के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश इस न्यायालय में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए दिए गए हैं, केवल अधीक्षक जेल को आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने के चरण में, जबकि वह आपातकालीन पैरोल के मामले को छोड़कर पैरोल देने या अस्वीकार करने वाला कोई नहीं है।

(20) इस संबंध में, राज्य के लिए विद्वान वकील ने दिनांक 30.7.2017 को एक अधिसूचना प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार हैः -

हरियाणा सरकार के जेल विभाग की अधिसूचना 30 जुलाई, 2007 संख्या एस ओ 63/एच ए 28/1988/एस 3 और 4/2007-हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 की उप-धारा (4) और धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार के अधिनिर्णय में, जेल विभाग, अधिसूचना संख्या एस ओ 111/पी ए 11/62/एस 3/77, दिनांक 14 अगस्त, 1977 और संख्या एस ओ 127/पी ए/11/62/एस 4/77, दिनांक 20 सितंबर, 1977, हरियाणा के राज्यपाल ने इसके द्वारा संबंधित डिवीजन के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा के तहत हत्या, बलात्कार, हत्या, दहेज हत्या और दहेज हत्या के मामलों के लिए निर्दिष्ट अपराधों के आधार पर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया।

हरियाणा का राज्यपाल इसके द्वारा संबंधित जिले के जेल अधीक्षक को केवल उक्त अधिनियम की उप धारा 1 के खंड (ए) में निर्दिष्ट आधारों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

हरियाणा का राज्यपाल इसके द्वारा संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को उपरोक्त धारा के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है, सिवाय उन शक्तियों के जहां संभागीय आयुक्त और जेल अधीक्षक को ऊपर के रूप में अधिकृत किया गया है।

KS भोरिया वित्तीय आयुक्त और सरकार के प्रधान सचिव, हरियाणा, जेल विभाग "

(21)अब मामले के गुण-दोष की ओर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से स्वच्छ हाथों से संपर्क नहीं किया है क्योंकि उसने अपनी याचिका के पैरा संख्या 4 में झूठा दावा किया है कि उसे कभी अन्य मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया था, जबकि उसे दोषी ठहराया गया है और आईपीसी की धारा 302/449/216/120-बी/34 और पुलिस स्टेशन तोशाम, जिला भिवानी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 159 दिनांक 24.08.2001 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा प्राथमिकी संख्या 428 दिनांक 26.11.2011 आईपीसी की धारा 302/120-बी/34 और पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, सोनीपत में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें वह पहले से ही जिला जेल, सोनीपत में सजा भुगत रहा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विश्वसनीय नहीं है क्योंकि अतीत में वह लंबे समय तक पैरोल और फर्लो से फरार रहा है। वह 4 महीने और 25 दिनों की अवधि के लिए 20.6.2007 से 13.11.2007

तक पैरोल से फरार रहा, फिर उसे 12.5.2010 को घर की मरम्मत के लिए चार सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया और 10.6.2010 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन पुलिस द्वारा 30.11.2011 को गिरफ्तार किया गया और फिर वह 1 वर्ष, 05 महीने और 20 दिनों की अवधि के लिए 10.6.2010 से 29.11.2011 तक पैरोल से फरार रहा। हर बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पहले ही 'कट्टर कैदी' कहा जा चुका है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत उसके द्वारा दायर आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि कट्टर कैदी के लिए पैरोल के लिए आवेदन करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(22)इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत दायर आवेदन पर याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं लगता है।

(23)खारिज कर दिया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा